

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत मोहम्मद अब्बास आलम पिता मोहम्मद सदीक, सईद अनवर पिता मोहम्मद सदीक, इस्सतीयाक अंसारी पिता सनौल्लाह अंसारी और नदीम कादरी पिता शमसूल हक निवासी ग्राम: बहेरा, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बहेरा, थाना सं: 79 (गैरमजूरवा खास) खाता सं. 126 के अधीन प्लॉट सं: 95, 193, 469, 75, 274(P), 275, 277, 282(P), 286, 194 & 202 और ग्राम: कनौदा, थाना सं: 81 (गैरमजूरवा खास) खाता सं. 09 के अधीन प्लॉट सं: 5(P), 6(P) & 42, ग्राम: बिजैन और कल्याणपुर, थाना सं: 83 & 85 (रैयाती) खाता सं. 02, 19, 10 & 04 के अधीन प्लॉट सं: 194, 162, 258, 06, 156, 157, 244, 328, 216(P) & 281, कुल रकबा - 08.015 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: बहेरा, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बहेरा, थाना सं: 79 (गैरमजूरवा खास) खाता सं. 126 के अधीन प्लॉट सं: 95, 193, 469, 75, 274(P), 275, 277, 282(P), 286, 194 & 202 और ग्राम: कनौदा, थाना सं: 81 (गैरमजूरवा खास) खाता सं. 09 के अधीन प्लॉट सं: 5(P), 6(P) & 42, ग्राम: बिजैन और कल्याणपुर, थाना सं: 83 & 85 (रैयाती) खाता सं. 02, 19, 10 & 04 के अधीन प्लॉट सं: 194, 162, 258, 06, 156, 157, 244, 328, 216(P) & 281, कुल रकबा - 08.015 एकड़ भूमि के तहत मोहम्मद अब्बास आलम पिता मोहम्मद सदीक, सईद अनवर पिता मोहम्मद सदीक, इस्सतीयाक अंसारी पिता सनौल्लाह अंसारी और नदीम कादरी पिता शमसूल हक निवासी ग्राम: बहेरा, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

*Gram*  
15/08/2020